निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 96/2021 प्रार्थना पत्र (2021/179)

उनवान

सावित्रीदेवी पत्नी सोहनलाल जी खटीक निवासी बस्सी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ — प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ — विपक्षी

कार्यवाही: अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए.

उपस्थिति :

निर्णय

दिनांक 15/10/2021

संक्षेप मे विवरण प्रकरण इस प्रकार है प्रार्थी ने विरुद्ध विपक्षी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के आधिपत्य उपयोग उपभोग व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम छापिया खेड़ी पटवार हल्का सोनगर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मे आराजी नम्बर 96; 99, 100, 101, 102 मी. कुल कीता 5 कुल रकबा 1.4550 हे० स्थित हैं। प्रार्थीया के खातेदारी की उक्त भूमि पर आने जाने के लिए कदीमी रास्ता आराजी नम्बर 101 के उत्तर दिशा मे पूर्व की तरफ स्थित आ.न. 113 किस्म बिलानाम [illegible] रास्ता आ० नं. 56 से जाती है, जिससे [illegible] उक्त वर्णित खातेदारी की कृषि [illegible] लाने - ले जाने व कृषि उपकरण ट्रेक्टर मवेशी आ[illegible]ने ले जाने के रूप मे उपयोग करती चली आ रही है। इसके अलावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sund
Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:38:00 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर ... जिला चित्तौड़गढ़

अन्य कोई रास्ता प्रार्थिया की कृषि भूमि पर आने जाने का नही है। प्रार्थिया बिलानाम आ.नं. 113 मे से रास्ते के लिए भूमि की डी.एल.सी राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 101 के उत्तर दिशा मे स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 113 मे 30 फीट चौडा व 60 फीट उत्तर-दक्षिण लम्बा रास्ता जो कि कच्चे रास्ते आराजी नम्बर 56 से मिलता है, को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। तहसीलदार चित्तौडगढ से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित एवं जवाब प्रस्तुत किया गया।

तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा जरिए पत्रांक/राजस्व/2021/941 दिनांक 29/7/2021 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम छापियारखेडी प.ह. लोहाग्र की जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 के खाता संख्या 57 मे वर्णित आराजी सं. 96, 99, 100, 101, 102 मी कीता 5 कुल रकबा 1.4550 है. भूमि प्रार्थिया के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थिया की उक्त निजी आराजीयात पर जाने आने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थिया अपनी निजी खातेदारी आ.सं. 101 के उत्तरी-पूर्वी कोने पर आराजी नम्बर 113 मे से 30 फीट चौडा रास्ता दर्ज करवाना चाहती है, जो निकटतम एंव लघुतम है एंव किसी प्रकार से कृषियोग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। प्रस्तावित रास्ते मे आने वाली [illegible] 10×16 = 160 वर्ग मीटर अर्थात 0.0160 हे. है। [illegible] छापियारखेडी की डी.ए.सी 4751.00 [illegible] प्रति हेक्टेयर है [illegible] अनुसार प्रस्तावित भूमि की राशि 4751×0.0160 [illegible] रुपयर जिसकी दो गुना 15204.00 रुपयर होते है। प्रस्तावित भूमि पर कोई फलदार वृक्ष एंव निर्माण नही होकर मौके पर पडत है।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam S
Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:38:00
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी। हमने पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गम्भीरता से मनन किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए. हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया की ग्राम छापियारखेड़ी प.ह. सोनगर स्थित खातेदारी आ.नं. 96, 99, 100, 101, 102 मी. कीता 5 रकबा 1.4550 हे. पर आने जाने हेतु रास्ता कायम करने हेतु ग्राम छापियारखेड़ी की आ.नं. 113 रकबा 4.56 हे. किस्म बंजड़ बिलानाम भूमि में से 10 X 16 = 160 वर्ग मीटर अर्थात 0.0160 हे. भूमि की कीमत डी.एल.सी. 4751.00 रूपए प्रति एयर के अनुसार 7602.00 रूपए की दो गुना कुल राशि 15204.00 @ 15300.00 अक्षरे पन्द्रह हजार तीन सौ रूपए का भुगतान विपक्षी को किए जाने पर, उक्त भूमि आ.नं. 113 रकबा 4.56 हे. में से 160 वर्गमीटर यानि 0.0160 हे. भूमि की किस्म रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि 15300.00 रूपए का भुगतान विपक्षी को करने हेतु प्रार्थिया उक्त राशि का ड्राफ्ट प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित तहसीलदार को ड्राफ्ट एवं राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु निर्णय की प्रति मय मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है प्रेषित किए जावे। राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि किस्म रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shya[illegible]
Bishnoi
Date: 2021.11.26 18:38
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)